

## फर्द अहकाम

संख्या :- 40/2023

सरकार बनाम मूलचंद  
आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष  
विवरण

दिनांक आज्ञा  
या कार्यवाही  
15.02.2023

सरकार जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार तहसील चाकसू में यह अतर्गत धारा 212 आरटीए न्यायालय में पेश किया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब कर दिनांक 21.03.2023 को पेश हो तहसीलदार चाकसू के अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जावेगा। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार चाकसू का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमियों को खुर्द बुर्द एवं हस्तांतरित करने व नवनिर्माण करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की आकस्मिकता व तत्काल आवश्यकता को देखते हुए आगामी आदेश तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रूप से इस आशय की जारी की जाती है। कि अप्रार्थीगण ग्राम चाकसू पूर्व के आराजी खसरा नंबर 4125, 12417/4126, 12419/4128 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7767 है। वाके ग्राम चाकसू पूर्व पटवार हल्का चाकसू तहसील चाकसू का आगामी तारीख पेशी तक बेचान न करें, भू-संपरिवर्तन न करें एवं रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन राजकीय विभागों के कार्य/न्यायालय आदेश/न्यायालय आदेश द्वारा रास्तों के अमल दरामद/राको रोडा के तहत बैंक कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। अप्रार्थीयों की नोटिस की तामील की सामान्य एवं साधारण प्रकिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेजात व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना करे तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे। प्रकरण की स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करे तथा आदेश 39 नियम (3) सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार युक्तियुक्त निर्णय कराने के लिए हर संभव यत्न करे अन्यथा अंतरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेंट कर दी जावेगी।

पत्रावली वास्ते तामील हेतु दिनांक 21.03.2023 को पेश हो।

21/3/23

पत्रावली पेश हुई P.O. साहब/कार्य  
फन्डोलेस कार्य पत्रावली जनरल  
दिनांक की र्थ। फर्दुसार पत्रावली  
दिनांक 3/5/23 को पेश हो।

*lwja*

8/2/23  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड चाकसू(जयपुर)